संख्या-91/2022/।/196531/2022/002-71-2099-2463-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022

विषय:- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण प्रायोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 3204/योजना अनु0/2022, दिनांक 31.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद की धनराशि रू0 3,05,57,143.00 अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-53/2019/2428/71-2-19-287/2017टी0सी0, दिनांक 18.11.2019 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय निर्माण प्रायोजना हेतु 'रू0 8512.00 लाख + जी0एस0टी0' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अबतक कुल धनराशि रू0 8086.40 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 31.05.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24-बृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि 'रू0 2128.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 3,05,57,143.00 (रू0 तीन करोड पॉच लाख सत्तावन हजार एक सौ तैतालिस मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) **स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।**

(2) **प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।**

(3) **प्रश्नगत प्रायोजना हेतु मूल शासनादेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा अधिरोपित शर्त यथावत रहेंगे।**

(4) **प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कुलपति/कुलसचिव का होगा।**

(5) **प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्तां, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।**

(6) **नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भं कराया जायेगा।**

(7) **प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वींकृत कराया जाय।**

(8) **अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।**

(9) **विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10) **स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।**

(11) **प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत भविष्य में धनराशि निर्गत किए जाने हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव में अवमुक्त हुयी धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य के संबंध में आई0आई0टी0/एम0एन0एन0आई0टी0, इलाहाबाद, प्रयागराज की थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।

(14) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय मे तैनात वित्त नियन्त्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

(15) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(16) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(17) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,05,57,143 (रुपये तीन करोड़ पांच लाख सत्तावन हजार एक सौ तैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057700 जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का सेटेलाइट सेन्टर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-91/2022/।196531/2022/002-71-2099-2463-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4

6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

7) प्रबन्ध निदेशक, अपर परियोजना प्रबिन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बहराइच इकाई।

8) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।

10) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: doc1 (21)
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/12/2014 4:35:00 PM
Change Number: 9
Last Saved On: 8/1/2022 5:10:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 42 Minutes
Last Printed On: 8/1/2022 5:14:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 971 (approx.)
Number of Characters: 5,538 (approx.)